

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 362/ब-4/चार/2002.—म. प्र. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एल-1/28-99/ब-7/चार, दिनांक 1-9-99 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है. ये दरें 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावशील रहेगी.

क्रमांक (1)	श्रेणी (2)	ब्याज दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष) (3)
1	कृषक ऋण अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिकरण द्वारा दिये जाने वाले कृषकों को ऋण (चार वर्ष तक).	13.00

(1)	(2)	(3)
2.	प्राकृतिक विपदाओं में हुए, कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण.	
3.	कृषक ऋण अधिनियम तथा भू-सुधार अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को ऋण :—	
	(1) अल्पावधि ऋण	
	(2) मध्यावधि ऋण	
4.	भारत सरकार से प्राप्त अल्पावधि ऋण	9.00
5.	(क) एक करोड़ से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण.	
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितियों को ऋण.	
	(1) नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ऋण के अलावा ऋण.	
	(2) नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ऋण (अधिकतम 5 वर्ष)	
	(ग) निजी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋण.	“ख” में बताई गई दर 1/2% अधिक
6.	शहरी क्षेत्रों में अस्थाई जलकष्ट का निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	
7.	वन तकावी	13.00
8.	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	12.50
9.	वन अधीक्षकों को बन्दूक क्रय करने हेतु ऋण	
10.	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये ऋण :—	

चार वर्ष से नौ वर्ष तक

(1)	(2)	(3)
(2) दस वर्ष तथा उससे ऊपर	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण).	
12. जीवन बीमा निगम से ऋण :-		
1) सामान्य विकास कार्यों हेतु		राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
(2) ग्रामीण विकास कार्यों हेतु		राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
13. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण		राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
दाण्डिक ब्याज		सामान्य दर से 3% अधिक
14. गृह निर्माण अग्रिम/भवन क्रय पर अग्रिम		
(अ) रुपये 2.00 लाख तक		
(ब) रुपये 2.00 लाख से अधिक तथा 5.00 लाख तक		11.50
(स) रुपये 5.00 से ऊपर		
15. साईकिल खरीदने के लिए अग्रिम		10.50
16. अन्य वस्तुओं एवं अन्य वाहन		
(अ) मोटरकार को छोड़कर अर्थात् मोटर साईकिल, स्कूटर आदि के लिए		
(ब) मोटरकार खरीदने के लिए		14.25
(स) मोटरकार खरीदने के लिए (स्व वाहन सुविधा योजना में).		

दाण्डिक ब्याज सामान्य दर से 3% प्रतिवर्ष से अधिक वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एल-1/24/78/ब-7/चार, दिनांक 8-1-1979 के अनुसार लागू होगी.